ग्राम पंचायत भंजराड़ू, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2022 से 03/2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भंजराड़ू, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पंचायत भंजराड़ू में निम्नलिखित प्रधान, सचिव कार्यरत रहे हैं :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	सुश्री कृष्णा महाजन	01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री गोपाल सिंह	01-04-2022 से 30-04-2022
2.	श्री प्यार सिंह	01-05-2022 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत भंजराड़ू, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं

का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	पैरा स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
01	7.1 - 7.4	पंचायत राजस्व गृहकर, मोबाइल टावर फीस, दुकानों का किराया एवं विवाह पंजीकरण शुल्क इत्यादि का वसूली/जमा न किये जाने बारे।	2.85
02.	8.2	बिना M (XY) फॉर्म के अनुचित क्रय करने से सरकारी राजकोष को रॉयल्टी के तौर पर राजस्व की भारी वित्तीय हानि बारे।	₹3.54
03.	8.3	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) की सम्भावित वित्तीय हानि।	1.01
04.	8.4	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	0.16
05.	8.5	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।	25.27
06.	9.1	मनरेगा अनुदान के व्यय/भुगतानों में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे।	18.45
06.	9.2	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि स्टॉक/स्टोर का नियमित क्रय करने बारे	1.82
07.	9.3	क्रय सामान/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर इन्द्राज न करने बारे एवं पंचायत के स्टॉक रजिस्टर में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।	2.02

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत भंजराडू का अंकेक्षण, अवधि 04/2019 से 03/2021 के लिये किया गया था जिसमें सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/02 दिनांक 30-04-2024 द्वारा सचिव को स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि, गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। गत अंकेक्षण के पैरों पर कोई भी कार्रवाई न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है, अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2021 तक:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	अनिर्णीत	
2.	4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
3.	5	अनिर्णीत	-
4.	6	अनिर्णीत	-
5.	7	अनिर्णीत	-
6.	8 (क)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शाई गई है।
7.	8 (ख)	अनिर्णीत	-
8.	9	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
8.	10	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
9.	11	अनिर्णीत	-

10.	12	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शाई गई है।
11.	13	अनिर्णीत	-
12.	14	अनिर्णीत	-
13.	15	अनिर्णीत	-
14.	16	अनिर्णीत	-
15.	17	अनिर्णीत	-
16.	18	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
17.	19	अनिर्णीत	-

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत भंजराड़ू, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार क० लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30-04-2024 से 08-05-2024 तक ग्राम पंचायत भंजराड़ू के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**आय चयनित माह**	**व्यय चयनित माह**
1.	2022-2023	08/2022	09/2022
2.	2023-2024	12/2023	06/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत भंजराडू, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹6400/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/12 दिनांक 08-05-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत भंजराडू द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 **(अ) स्व:-स्रोत व अनुदान** ग्राम पंचायत भंजराडू के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व:-स्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:

1. स्व:-स्रोत (3RD/5TH State FC)

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	531316.20	324968.22	856284.42	240575.00	615709.42
2023-24	615709.42	103180.00	718889.42	334281.00	384608.42

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	3365746.68	17601102.90	20966849.58	18556537.52	2410312.06
2023-24	2410312.06	13648676.00	16058988.06	14757798.60	1301189.46

नोट: उपरोक्त स्व:-स्रोत के अंतर्गत अन्य अनुदान जैसे 3rd/5th स्टेट का पंचायत द्वारा एक बैंक खाता व एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। (कृपया पूर्ण विवरण

पैरा संख्या 10.3 पर देखें) जिससे कि; उक्त स्व:-स्रोत की वास्तविक राशि को पृथक तौर पर नहीं दर्शाया जा सकता है।

कुल योग (1 + 2) ₹384608.42 + ₹1301189.46 ₹1685797.88

(ब) ग्राम पचांयत भंजराड़ू, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15वां वित्तायोग	99241700021554	HPGB BHANJRARU	**662766.30**
2.	14वां वित्तायोग	99240100002537	HPGB BHANJRARU	**00**
3.	SBM	6708000100068949	PNB BHANJRARU	**00**
4.	IAY/RAY	99241302405551	HPGB BHANJRARU	**15864.00**
5.	VKVNY/SDP/ECO VILLAGE /NDP/PS/3RD STATE FC/SF	17710103129	HPSCB BHANJRARU	**650200.06**
6.	RGSA	9924010001535	HPGB BHANJRARU	**53831.70**
		50100655530853	HDFC BHANJRARU	**390551.00**
7.	IWMP	33613072114	SBI BHANJRARU	**00**
			Cash in hand	**0**
			TOTAL	**₹1773213.06**

अन्तर (ब-अ) ₹1773213.06 - ₹1685797.88 = ₹87415.18

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹0.87 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत भंजराड़ू द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की

अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹87415.18 का अन्तर रोकड़ बही में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 06-05-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5.2 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में राशि ₹2.09 लाख के अन्तर बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि; पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है, तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेयर में बनाये गए थे वे मैन्युअल रोकड़ बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते। दिनांक 31-03-2024 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मेनुअल लेखों में निम्न विवरणानुसार राशि ₹209901.26 का अन्तर पाया गया।

31-03-2024 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मेनुअल संधारित लेखों (रोकड़ बही) में अन्तशेष

31-03-2024 को PRIYA SOFT. में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	**₹18,95,699.14**

31-03-2024 को पंचायत द्वारा मेनुअल संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष ₹16,85,797.88

अन्तर **₹2,09,901.26**

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि, पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं, जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 06-05-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, ऑनलाइन एवं मैन्युअल रोकड़ बही के अंतर का मिलान करके शीघ्र ही अनुपालना से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है। अत: दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹13.01 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹1301189.46 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 06-05-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु

सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.49 लाख की वसूली न करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत भंजराडू के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्नलिखित ₹49050 की राशि वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों कीसंख्या	दर प्रति /परिवार	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	86900	462	50	23100	110000	86850	23150
2023-24	23150	518	50	25900	49050	0	49050

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-13 दिनांक 08-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः

सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्नविवरणनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹2375/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL/Rate		राशि	BPL/Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without late fee	With Late Fee		Without late fee	With Late Fee		
2022-23	16	4@200	0	800	12@25	0	300	1100
2023-24	9	6@200	0	1200	3@25	0	75	1275
कुल योग	**25**	**10@200**	**0**	**₹2000**	**15@25**	**0**	**₹375**	**₹2375**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-13 दिनांक 08-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त उसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा।

अतः उपरोक्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करने उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया

जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

7.3 मोबाइल टावरों की पूर्व अवधि की नवीनीकरण शुल्क बकाया राशि ₹0.15 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी०सी०एच०-एच०(2)8/99 दिनांक 20-03-2017 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए राशि ₹10000/- आवेदन शुल्क (स्थापना शुल्क) व राशि ₹5000/- वार्षिक नवीनीकरण शुल्क निर्धारित की गयी है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक निम्नविवरणनुसार सभी मोबाइल टावरों की वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के रूप में राशि ₹15000/- वसूली हेतु शेष थी।

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	अथशेष	टावरों की संख्या	नवीनीकरण शुल्क/प्रति टावर/वर्ष	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु बकाया
1.	2022-23	15000	03	0	0	15000	0	15000
2.	2023-24	15000	03	0	0	15000	0	15000

नोट : मोबाइल टावर फीस की उक्त बकाया राशि हि०प्र० सरकार की अधिसूचना 885 दिनांक 13-05-2022 के पूर्व की है तथा वर्तमान में उक्त अधिसूचना के अनुसार पंचायत की अपनी निजी भूमि पर कोई मोबाइल टावर नहीं है इसलिये मांग शुन्य दर्शायी गई है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13 दिनांक 08-05-2024 के प्रत्युतर में सचिव, द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, बकाया राशि की वसूली शीघ्र कर ली जाएगी। उतर पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है। जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः पूर्व अवधि की मोबाइल टावरों की बकाया राशि को शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके सम्बन्धित खाते में जमा करवा दिया जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.4 पंचायत राजस्व, दुकानों का किराया राशि ₹2.19 लाख की वसूली न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 33** में प्रावधान है कि, ग्राम पंचायत का सचिव देखेगा कि, समस्त राजस्व सही ढंग से व अविलम्ब तथा नियमित रूप से निर्धारित, वसूल व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में जमा करवाया गया है।

ग्राम पंचायत भंजराड़ू के अंकेक्षण में पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा आठ दुकानों में से सात दुकानें किराये पर दी थी। इनमें सभी दुकानों का किराया नियमित रूप से वसूल नहीं किया जा रहा था, तथा दिनांक 31-03-2024 तक निम्न विवरणानुसार कुल राशि ₹218600/- वसूली हेतु शेष है। इसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "5"** में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	अथशेष	दुकानों की संख्या	दर प्रति /दुकान	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया
2022-23	289600	07	500	42000	331600	127500	204100
2023-24	204100	07	500	42000	246100	27500	218600

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 07-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, दुकानों के किराये की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि होने के साथ-साथ किसी वैधानिक कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। अतः दुकान किराया की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.5 पंचायत द्वारा किराये पर आबंटित दुकानों के सम्बन्ध में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 33** के प्रावधानों के अंतर्गत वसूली के सम्बन्ध में तथा हि०प्र० पंचायती राज विभाग के कार्यालय आदेश संख्या पीसीएच-एचसी (7)10/30-3031-30436 दिनांक 07-09-2008 द्वारा ग्राम पंचायत के व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने हेतु सम्बन्धित उपमंडलाधिकारी/तहसीलदार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जानी आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी प्रकार के किसी क़ानूनी विवाद से बचा जा सके एवं कोई वैधानिक कठिनाई न हो।

ग्राम पंचायत भंजराडू, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा (हि०प्र०) की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि; पंचायत के पास कुल आठ दुकानें हैं जिनमें से सात किरायेदारों को आबंटित की गई थी परन्तु इन के सम्बन्ध में न कोई अभिलेख तैयार किये गए थे एवं न ही वर्णित सरकारी नियमों, आदेशों, अनुदेशों एवं शर्तों इत्यादि की अनुपालना नहीं की गई है।

1. किसी भी किरायेदार के साथ (दुकान का) का अनुबंध नहीं किया गया है।
2. अधिकतर दुकानों का किराया समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है एवं इससे सम्बन्धित अभिलेखों/रजिस्टरों को तैयार नहीं किया जा रहा है एवं पंचायत के पास उपलब्ध नौ दुकानों में से चार खाली चल रही है इनके आबंटन से सम्बन्धित कोई भी प्रयास नहीं किये जा रहे हैं।
3. काफी समय से कोई भी किराया बढ़ौतरी नहीं की गई है एवं किराये का निर्धारण नियमानुसार नहीं किया गया है।
4. पंचायत की सम्पति (दुकानों इत्यादि) को सरकारी दिशा-निर्देशों अनुसार किराये पर देने हेतु किसी भी कमेटी का गठन नहीं किया गया है।
5. पंचायत द्वारा दुकानों का किराया नियमित तौर से नहीं वसूला जा रहा है एवं अंकेक्षण अवधि के अंत तक कुल राशि 218600 वसूली हेतु शेष थी।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹1.01 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत भंजराडू के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की खरीद गई थी एवं पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹101097.14 भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) किया गया था परन्तु उक्त क्रय सामग्री के अधिकतर आपूर्तिकर्ता GST पंजीकृत नहीं है। फर्मों द्वारा पंचायत को प्रस्तुत बिल प्रॉपर/टैक्स बिल/कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल सादे कागज,रसीद,कैश मेमों व परफोर्मा बिल ही हैं जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर/टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹101097.14 की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

उक्त गम्भीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 04-05-2024 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त पत्र द्वारा सूचित कि, उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पंचायत को केवल सादे कागज,रसीद,कैश मेमों व कुच्छ परफोर्मा बिल ही प्रस्तुत किया गए हैं यद्यपि पंचायत द्वारा इन बिलों पर भुगतान GST सहित किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा

सकता कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया गया है या नहीं इस मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से शीघ्र ही अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त उक्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुरूपयोग व कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.16 लाख की वित्तीय हानि बारे :-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार यदि कार्य को करने पर किसी ठेकेदार को एक वित्तीय वर्ष में ₹100000/- या अधिक की अदायगी अथवा एक बार में ₹30000/- या अधिक की अदायगी की जाती है, तो भुगतानकर्ता/आहरण व संवितरण अधिकारी, ठेकेदार/संविदाकार के बिल पर आय स्रोत पर कर (TDS) व्यक्ति की दशा में 1% तथा फर्म की दशा में 2% आयकर की कटौती करेगा तथा की गई कटौती को सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाएगा। आय स्रोत पर की गई कटौती की राशि को आयकर विभाग के '**<u>प्राप्ति शीर्ष</u>**' में निर्धारित समयावधि में जमा किया जाना आवश्यक है अन्यथा दंडात्मक ब्याज के प्रावधान लागू होंगे।

ग्राम पंचायत भंजराडू के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार राशि ₹802800/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जोकि न केवल आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना

है अपितु इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि ₹16056/- (2%) की वित्तीय हानि हुई है।

क्रम/ अनुदान	वाउचर / वर्ष	सामग्री	आपूर्तिकर्ता	भुगतान की गई राशि	TDS @ % 2
1.15th FC	10/ 09-06-23	Stone & Agg. Carrige	M/S Dharam Singh S/o Bhikham PO Bhanjraru Chamba	50900	1018
2.MGREGA	Nil/ 31-03-23	Carrige of Material	M/S Dev Raj S/o Narainu, PO Jungra	45000	900
3.MGREGA	Nil/ 16-05 -22	Carrige of Material	M/S Narain Singh S/o Dharma PO Bahnjraru, Chamba	64000	1280
4.MGREGA	Nil/06-05-2022	Carrige of Stone 66m3 @2000	M/S Virender Kumar S/o Sh. Mehar Chand VPO Bhanjraru,	132000	2640
5.MGREGA	Nil/06-05-2022	Carrige of stone GR	M/S Asdula S/o Hasan PO Thaneikothi, Chamba	105300	2106
6.MGREGA	Nil/01-09-2022	Carrige of stone 82m3 @1800 GR	M/S Asdula S/o Hasan PO Thaneikothi, Chamba	147600	2952
7.MGREGA	Nil/28-06-2023	Carrige of stone 84m3 @2000 GR	M/S Asdula S/o Hasan PO Thaneikothi, Chamba	168000	3360
8.MGREGA	Nil/24-08-2023	Carrige of Stone45m3 @2000	M/S Narain Singh S/o Dharma PO Bahnjraru, Chamba	90000	1800
			कुल योग	**₹ 802800**	**₹16056**

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 04-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित संविदाकारों से करने एवं उसे सरकारी

कोष में जमा करवा कर कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में नियमित तौर पर कटौती की जायेगी।

अत: पंचायत द्वारा टी.डी.एस की कटौती न करना, न केवल आयकर अधिनियम की अवहेलना है परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी हानि है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल नमूना/चयनित माहों के ही भुगतानों को जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की विभागीय स्तर पर जाँच करके अपेक्षित टी.डी.एस.की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में टी.डी.एस. की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में निर्धारित समयावधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.5 कनिष्ठ अभियंता एवं तकनीकी स्तर पर राशि ₹25.27 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन एवं मापन पुस्तिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत भंजराडू की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता एवं तकनीकी स्तर पर निम्न विवरणानुसार करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका, प्रापत्र-34 उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्रम संख्या अनुदान/	कार्य विवरण	स्वीकृत राशि	टिप्पणी
1.VKVNY	कार्य:लिटीगेशन शैड नजदीक कोर्ट काम्प्लेक्स भंजराडू	400000	MB,UC, Estimate Work Order and Technical sanction order etc.
2.SBM	कार्य : वर्कर हट इनसाइड सेग्रीगेशन सेंटर	700000	
3.MGREGA	कार्य :लैंड डेवलपमेंट वर्क भंजराडू	300000	do
4.MGREGA	कार्य :लैंड डेवलपमेंट वर्क डिकरियुंड	300000	do
5.MGREGA	कार्य: प्लान्टेशन वर्क देवकी की जमीन पर	100000	do
6.Eco Village	कार्य: रूफ टॉप रैनवाटर हार्वेस्टिंग भंजराडू	300000	do
7. Eco Village	कार्य : CSC पंचवटी पार्क धार	300000	do
8. Eco Village	कार्य: अपग्रेडशेन मेला ग्राउंड भंजराडू	127000	do
	कुल योग	**₹2527000**	

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-13 दिनांक 08-05-2024 द्वारा पंचायत सचिव को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि,उक्त कार्यो के समस्त अभिलेख कनिष्ठ अभियंता के पास विकास खण्ड कार्यालय में पड़े है इसके अतिरिक्त तकनीकी स्तर के अन्य अभिलेख पंचायत में उपलब्ध नहीं है। उत्तर

तर्कसंगत नहीं है। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9.1 राशि ₹18.45 लाख के स्टोर/स्टॉक के व्यय भुगतानों में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे :-

ग्राम पंचायत भंजराडू के व्यय के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के अंतर्गत संलग्न **परिशिष्ट "4"** के अनुसार राशि ₹1845040 का भुगतान स्टोर/स्टॉक के क्रय की एवज में किया गया परन्तु इन बिलों के अवलोकन में पाया गया यह पंचायती राज अधिनियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना नहीं की गई।

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में पाई गई विविध वित्तीय व अन्य अनियमितताओं बारे

1. पंचायत द्वारा स्टोर/स्टॉक के क्रय हेतु अधिकृत विक्रेता GST/TIN पंजीकृत नहीं हैं एवं विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत बिल प्रॉपर टैक्स इनवॉइस, कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल सादे कागज,रसीद,कैश मेमों, परफोर्मा बिल इत्यादि के प्रारूप में ही दिए गए हैं इस पर वेन्डर/आपूर्तिकर्ता का विवरण, GST/TIN संख्या, बिल क्रमांक इत्यादि अंकित नहीं है एवं बिलों पर दिनांक भी हस्तलिखित है एवं बिल संख्या पंचायत द्वारा बिलों पर स्वयं आबंटित की गई है यह बिल सादे कागज पर अभिस्वीकृति सहित भुगतान हेतु दिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है।

2. पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के अंतर्गत क्रय स्टोर/स्टॉक के एवज में आपूर्तिकर्ताओं/वेंडरों को किये गए भुगतानों के FTOs (Fund transfer order) अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गये जिससे कि यह सुनिश्चित/सत्यापित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए वास्तव में उन्ही आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया है अथवा नहीं ? इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गए अभिलेख में पाया गया कि रेत, बजरी व पत्थर के अधिकतर विक्रेता GST पंजीकृत नहीं हैं एवं जो पंजीकृत भी हैं उनके द्वारा बिल सादे कागज पर ही दावे किये गये हैं।

इस गम्भीर अनियमिति बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 04-05-2024 द्वारा पंचायत सचिव को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में

पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, अधिकतर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इस प्रकार के बिलों पर दावे किये गए हैं जिनका समय-समय पर पंचायत द्वारा भुगतान किया गया है भविष्य में प्रॉपर टैक्स बिलों एवं मान्य GST धारकों से ही क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। उक्त अनियमितताओं एवं प्रस्तुत उत्तर के आधार पर उक्त व्यय संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹1.82 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें, कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत भंजराडू द्वारा राशि ₹181916/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है।) जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 04-05-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना

संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अत: इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 पंचायत के स्टॉक रजिस्टर में पाई गई विविध अनियमिताओं बारे एवं राशि ₹2.02 लाख के क्रय सामान/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर इन्द्राज न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा एवं नियम 70 से 72 में वर्णित विभिन्न नियमों की अनुपालना आवश्यक है। पंचायत के नमूना अंकेक्षण में निम्नवर्णित अनियमितातायें पाई गई :-

1. ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा (संलग्न **परिशिष्ट "5"**) राशि ₹200216/- का सामान क्रय किया गया। परन्तु उसकी स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई है। जोकि न केवल उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है अपितु स्टॉक प्रविष्टि के अभाव में उक्त क्रय किये गए सामान की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी एवं इसके दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

2. ग्राम पंचायत द्वारा अन्य अनुदानों हेतु संधारित स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, स्टोर/स्टॉक की प्राप्ति, उसे जारी करने, उसका भण्डारण करने एवं स्टोर के लेखे उक्त नियमानुसार नहीं रखे गए थे। स्टोर को जारी करने हेतु मांगपत्र, प्राप्तकर्ता की अभीस्वीकृति/हस्ताक्षर के बिना प्राप्त स्टोर को एक साथ जारी करना एवं जारी करने की तिथि इत्यादि भी अंकित न होना, प्राप्त स्टोर/स्टॉक का परिक्षण, गणना माप-तोल एवं स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर का संधारण न करना न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट

अवहेलना हैं अपितु इससे क्रय स्टोर/स्टॉक की दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 04-05-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि स्टोर/स्टॉक के भंडारण, जारी करने के सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चूँकि यह न केवल नियमाविरुद्ध है अपितु समय-समय पर क्रय स्टोर/स्टॉक का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न किया जाने एवं अन्य विविध अनियमितताओं के दृष्टिगत से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। अत: नियमाविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.4 मनरेगा मटेरियल रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹18276584.88 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 04-05-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि मनरेगा के अंतर्गत क्रय स्टोर/स्टॉक के सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। अत: नियमाविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.5 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय करने बारे :-

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 (MNREGA Operatinal Guidlines 2013) **नियम 7.4** के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मजदूरी व सामग्री को तय अनुपात में खर्च किये जाने के नियम प्रावधित हैं। जिसके अंतर्गत मजदूरी लागत का भौतिक लागत से अनुपात अधिनियम में निर्धारित 60:40 (मजदूरी व सामग्री) के न्यूनतम मापदंड से कम नहीं होना चाहिए।

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान कुल व्यय के अंतर्गत सामग्री पर अधिक व्यय करने बारे।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़ बही के अनुसार निम्न विवरणानुसार मजदूरी पर तय अनुपात से 18.18% कम एवं सामग्री के ऊपर तय अनुपात से अधिक 18.18% का व्यय किया गया जोकि न केवल उक्त दिशा-निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु मनरेगा योजना के मौलिक उदेश्य "ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने" को भी हतोत्साहित करता है।

क्रम	**वित्तीय वर्ष**	**कुल व्यय (लाखों में)**	**मजदूरी पर व्यय (लाखों में)**	**मजदूरी पर व्यय प्रतिशतता**	**सामान पर व्यय (लाखों में)**	**सामान पर व्यय प्रतिशतता**
1.	2022-23	144.99	60.63	41.82%	84.35	58.18%
	सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय				**₹2636117**	**+18.18%**

(ख) व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत करवाए गए कार्यों में सामग्री पर राशि ₹2.92 लाख का अधिक/अनुचित व्यय करने बारे।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत करवाए गए कार्यों में उक्त नियमानुसार सामग्री पर तय अनुपात से राशि **₹**292537 जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "7"** में दिया गया है, का अधिक/अनुचित व्यय किया गया जोकि उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है इस सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग द्वारा भी उक्त अधिक व्यय की राशि की वसूली हेतु आदेश जारी किये गए थे परन्तु पंचायत द्वारा इस सम्बन्ध अभी तक कोई भी अपेक्षित कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई जोकि अनुचित है।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-07 दिनांक 16-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, मनरेगा के अंतर्गत तय अनुपात से सामग्री के अधिक व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जाएगी। अत: उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.6 सयुंक हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹2.18 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत भंजराडू के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही (संलग्न **परिशिष्ट "5")** राशि ₹218016/- भुगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 04-05-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, पंचायत द्वारा सभी सभी बिलों को केवल प्रधान के एकल हस्ताक्षर द्वारा ही पारित किये गए हैं भविष्य में नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के समक्ष आगामी आवश्यक कार्रवाई लाई जाती है। अत: नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.5 राशि ₹6.16 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** में वर्णित प्रावधानुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित

भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अत्तिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी। पंचायत भंजराडू के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवणाणनुसार कुल राशि ₹616127/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई :-

1. मस्टरोल पर सतर्कता समिति के हस्ताक्षर न करवाना।
2. प्रधान एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान करना।
3. मस्टरोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान द्वारा सत्यापित करना।
4. मस्टरोल में अन्य विवरण जैसे: प्रस्ताव संख्या, दिनांक, कार्य का नाम, कार्य शुरू करने एवं समाप्ति की तिथि इत्यादि का विवरण अपूर्ण पाया जाना।

क्र०स०/ अनुदान	निर्माण कार्य	मस्ट्रोल संख्या	वाउचर/ दिनांक	राशि
1.VKVNY	कार्य:लिटीगेशन शैड नजदीक कोर्ट काम्प्लेक्स भंजराडू	14789/04	16/ 19-06-2023	82500
2.VKVNY	कार्य:लिटीगेशन शैड नजदीक कोर्ट काम्प्लेक्स भंजराडू	14792/07	23/ 04-07-2023	54750
3.15th FC	कार्य: सामुदायिक शौचालय भंजराडू	14759	12/ 12-06-2022	30479
4.15th FC	कार्य: बोन्डरी वाल विध गेट पंचायत घर	14726/ 14758	09 &14 / 25-05-2022	154136
5.15TH FC	कार्य :पनिहारा निर्माण फुलतवास	14788	05/ 02-06-2023	39752
6.15TH FC	कार्य: निकास नाली विध पक्का पाथ डोभ डिकर्युंड	14772	13/ 09-06-2023	81988
7.SBM	कार्य : वर्कर हट सेग्रीगेशन सेंटर धार	14776/ 14777	निल/ 22-12-2022	172522
			कुल योग	**₹616127**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 04-05-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत भंजराडू के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा समस्त अनुदानों व स्व:-स्रोतों की रोकड़ बहियों का संधारण ऑनलाइन न करके मैन्युअल ही किया जा रहा है एवं मैन्युअल संधारित रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया गया था। इसमें न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट 1 व 2** में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित किया जा सका। पंचायत द्वारा न ही ऑनलाइन रोकड़ बहियों एवं मनरेगा रोकड़ बही को अंकेक्षण में सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाया गया। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-09 दिनांक 06-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, समस्त रोकड़ बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़ बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा

परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी मेनुअल संधारित रोकड़ बहियों में अंतशेष, अथशेष व प्रगतिशील योग नहीं किया गए हैं एवं परिशिष्टों में दर्शाए गये अथशेष व अन्तशेष पंचायत की परीक्षा संतुलन सूची से लिया गए हैं। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत भंजराडू के नमूना अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 06-05-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों

— 106 —

उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

12 JUL 2024

12/7/24

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

3381-3385

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 87/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत भंजराड़ू, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

12 JUL 2024

12/7/24

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Bhanjraru for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source (3rd/5th State FC)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	531316.20	324968.22	856284.42	240575.00	615709.42
2023-24	615709.42	103180.00	718889.42	334281.00	384608.42

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	3365746.68	17601102.90	20966849.58	18556537.52	2410312.06
2023-24	2410312.06	13648676.00	16058988.06	14757798.60	1301189.46

1685797.88

नोट: प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत भंजराड़ू, विकास खंड तीसा में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत सात रोकड़ बहियाँ का संधारण किया जा रहा है।

1+2 (384608.42+1685797.88)

Closing balance as per Cash Books	1685797.88
Closing balance as per Bank Passbooks	1773213.06
Difference (Less in Cashbook	-87415.18

कार्यालय ग्राम पंचायत भंजराडू, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक01-04-2022 to 31-03-2024 को बैंक खातो में Opening व Closing Balance का विवरण

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15वां वित्तायोग	99241700021554	HPGB BHANJRARU	662766.30
2.	14वां वित्तायोग	99240100002537	HPGB BHANJRARU	00
3.	SBM	6708000100068949	PNB BHANJRARU	00
4.	IAY/RAY	99241302405551	HPGB BHANJRARU	15864.00
5.	VKVNY/SDP/ ECO VILLAGE /NDP/PS/3RD STATE FC /OWN RESOURCES e	17710103129	HPSCB BHANJRARU	650200.06
6.	RGSA	9924010001535	HPGB BHANJRARU	53831.70
		50100655530853	HDFC BHANJRARU	390551.00
7.	IWMP	33613072114	SBI BHANJRARU	00
			Cash in hand	0
			TOTAL	1773213.06

प्रमाणित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत भंजराडू, में दिंनाक 31-03-2024 उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 07 तक वर्णित बैंक खाते खोले गए हैं।

नोट: SBM के खाता संख्या 6708000100068949 को दिंनाक 23/12/2022 , IWMP के खाता संख्या 33613072114 को दिनांक 25/08/2022 तथा 14वां वितायोग खाता संख्या 99240100002537 को दिनांक 10/04/2023 को बंद कर दिया गया है।

परिशिष्ट "1"

Income Statement of GP Bhanjraru for the Year 2022-23

Month	Own Resources	SDP	SBM	VKVNY	3rd State	13th/14th	15th FC	Eco Village	NDP	Panchayat samiti	IWMP	IAY/MMAY	Other	MGNREGA	RGSA	Total
Apr-22	12838.00	200000.00	0.00	0.00	67200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18473.00	0.00	298511.00
May-22	19250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1275304.00	0.00	1338437.00
Jun-22	5025.00	100000.00	2995.00	0.00	0.00	5211.00	131981.00	0.00	0.00	175000.00	32.00	108.00	0.00	97385.00	3821.00	521558.00
Jul-22	200.00	0.00	0.00	0.00	78600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1750853.00	0.00	1829653.00
Aug-22	96373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792880.00	0.00	1015749.00
Sep-22	14392.00	0.00	89688.00	0.00	0.00	3741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	105.00	0.00	3729882.80	3699.00	3841529.80
Oct-22	59270.22	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	7263.00	375000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773806.00	0.00	1216179.22
Nov-22	50.00	0.00	93136.00	0.00	78600.00	0.00	182680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443604.00	0.00	798070.00
Dec-22	4500.00	0.00	409105.00	0.00	52400.00	3715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	104.00	0.00	163452.00	3684.00	636962.00
Jan-23	10095.00	0.00	92915.00	0.00	0.00	0.00	195712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1587342.00	0.00	1886064.00
Feb-23	12700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2839109.10	0.00	2851809.10
Mar-23	90275.00	0.00	217188.00	0.00	6200.00	1825.00	322793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	1049496.00	3668.00	1691549.00
Total	324968.22	300000.00	905027.00	0.00	283840.00	14492.00	966925.00	375000.00	43883.00	175000.00	56.00	421.00	0.00	14521586.90	14872.00	17926071.12

Expenditure Statemant of GP Bhanjraru for the Year 2022-23

Month	Own Resources	SDP	SBM	VKVNY	3rd State	13th/14th	15th FC	Eco Village	NDP	Panchayat samiti	IWMP	IAY/MMAY	Other	MGNREGA	RGSA	Total
Apr-22	38501.00	0.00	0.00	0.00	104100.00	17.70	75171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18473.00	17.70	236281.10
May-22	50774.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	161300.00	158872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1275304.00	0.00	1649850.00
Jun-22	0.00	204819.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	146284.00	34070.00	105599.00	145695.00	0.00	0.00	0.00	97385.00	0.00	743852.00
Jul-22	6150.00	0.00	0.00	0.00	7950.00	17.70	270331.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1750853.00	17.70	2035320.10
Aug-22	0.00	100017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66688.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	792880.00	0.00	964085.00
Sep-22	23741.00	0.00	350000.00	0.00	0.00	0.00	143193.00	0.00	63656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3729882.80	0.00	4310472.80
Oct-22	0.00	43020.00	0.00	0.00	16500.00	0.00	78328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773806.00	17.70	911671.70
Nov-22	5695.00	0.00	186500.00	0.00	0.00	0.00	53460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443604.00	0.00	689259.00
Dec-22	0.00	0.00	407771.00	0.00	0.00	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163452.00	17.70	571276.10
Jan-23	13695.00	0.00	92915.00	0.00	140400.00	497658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1587342.00	0.00	2332010.00
Feb-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70	94025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2839109.10	0.00	2933152.50
Mar-23	102019.00	0.00	217188.00	0.00	1100.00	49767.22	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	1049496.00	0.00	1419882.22
Total	240575.00	347856.00	1254374.00	0.00	273650.00	718796.02	1086371.80	34070.00	169255.00	145695.00	4812.00	0.00	0.00	14521586.90	70.80	18797112.52

35

परिशिष्ट "2"

Income of GP Bhanjraru for the Year 2023-24

Month	Own Resources	SDP	SBM	VKVNY	3rd State	JJM	15th FC	Eco Village	NDP	Panchayat samiti	IAY/MMAY	Other	MGNREGA	RGSA	Total
Apr-23	14866.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136116.00	345984.00	0.00	496966.00
May-23	425.00	0.00	173997.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1158752.00	0.00	1333174.00
Jun-23	9051.00	0.00	0.00	260000.00	86200.00		8127.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	3274461.00	3775.00	3641721.00
Jul-23	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390826.00	0.00	441826.00
Aug-23	3300.00	0.00	0.00	0.00	102184.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539284.00	3801.00	648569.00
Sep-23	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6156.00	275000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82512.00	247.00	364965.00
Oct-23	13729.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13729.00
Nov-23	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127650.00	199658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515280.00	0.00	842988.00
Dec-23	21941.00	0.00	0.00	118200.00	0.00		5554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675840.00	1262.00	822797.00
Jan-24	13124.00	200000.00	0.00	0.00	840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1644000.00	2949.00	1860913.00
Feb-24	10094.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2031994.00	0.00	2042088.00
Mar-24	14200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5165.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	1222280.00	367.00	1242120.00
Total	103180.00	200000.00	173997.00	378200.00	189224.00	50000.00	152652.00	474658.00	0.00	0.00	215.00	136116.00	11881213.00	12401.00	13751856.00

Expenditure of GP Bhanjraru for the Year 2023-24

Month	Own Resources	SDP	SBM	VKVNY	3rd State	JJM	15th FC	Eco Village	NDP	Panchayat samiti	IAY/MMAY	Other	MGNREGA	RGSA	Total
Apr-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	55500.00	345984.00	17.70	401519.40
May-23	17615.00	0.00	173997.00	0.00	5500.00	0.00	66418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21628.00	1158752.00	0.00	1443910.00
Jun-23	17510.00	0.00	0.00	220298.00	6500.00	0.00	354226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41128.00	3274461.00	0.00	3914123.00
Jul-23	0.00	19680.00	0.00	54750.00	72400.00	0.00	34739.70	156140.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	390826.00	17.70	740553.40
Aug-23	11100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539284.00	0.00	550384.00
Sep-23	10260.00	202696.00	0.00	97672.00	287780.00	0.00	60484.00	138948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82512.00	112645.00	992997.00
Oct-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70
Nov-23	4280.00	0.00	0.00	0.00	25500.00	0.00	79575.00	22500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515280.00	17.70	647152.70
Dec-23	0.00	0.00	0.00	0.00	39008.00	0.00	113168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25078.00	675840.00	0.00	853094.00
Jan-24	105264.00	7600.00	0.00	0.00	38000.00	0.00	17.70	78930.00	38367.00	0.00	0.00	0.00	1644000.00	0.00	1912178.70
Feb-24	168252.00	56380.00	0.00	0.00	21180.00	0.00	0.00	34180.00	39350.00	0.00	0.00	0.00	2031994.00	0.00	2351336.00
Mar-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1222280.00	17.70	1284813.70
Total	334281.00	286356.00	173997.00	372720.00	495868.00	0.00	771179.80	430698.00	77717.00	12000.00	0.00	143334.00	11881213.00	112715.80	15092079.60

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Bhanjraru for the Year to 2022-2023 To 2023-24

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2022-23	0.00	14521586.90	14521586.90	14521586.90	0.00
		2023-24	0.00	11881213.00	11881213.00	11881213.00	0.00
2	15TH FC	2022-23	1400740.90	966925.00	2367665.90	1086371.80	1281294.10
		2023-24	1281294.10	152652.00	1433946.10	771179.80	662766.30
3	14TH FC	2022-23	704304.02	14492.00	718796.02	718796.02	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	SBM	2022-23	349347.00	905027.00	1254374.00	1254374.00	0.00
		2023-24	0.00	173997.00	173997.00	173997.00	0.00
5	IAY/RAY	2022-23	15228.00	421.00	15649.00	0.00	15649.00
		2023-24	15649.00	215.00	15864.00	0.00	15864.00
6	GENERAL SDP/VKVNY/NDP/PS/JJM/Eco Village/3rd State	2022-23	361474.46	1177723.00	1539197.46	970526.00	568671.46
		2023-24	568671.46	1428198.00	1996869.46	1818693.00	178176.46
7	RGSA	2022-23	529896.30	14872.00	544768.30	70.80	544697.50
		2023-24	544697.50	12401.00	557098.50	112715.80	444382.70
8	IWMP	2022-23	4756.00	56.00	4812.00	4812.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

परिशिष्ट– "3"

ग्राम पंचायत भंजराडू, विकास खण्ड तीसा ,जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना (पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित)

Sr.No.Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.SF	12/ 04-04-22	Tea,Sweets, Somosa etc.	-	M/S Janta Ram s/o Heera, Bhanjraru	13600	**Quotations**
2.SF	47-49/ 26-07-22	Bundi, Tea, Pakode etc.	-	M/S Janta Ram s/o Heera, Bhanjraru	4200	**Quotations**
3.NDP	54/ 26-09-22	Paint	-	M/S Avinash Traders PO Ganed, Chamba	32506	**Quotations**
4.SF	09/ 05-06-23	Stationery	-	M/S Hem Raj Thakur, Bhanjraru, Chamba	7000	**Quotations**
5.SF	10-12/ 05-06-23	Cartage & Battery	-	M/S Bodh Raj, PO Bhanjraru, Chamba	7800	**Quotations**
6. Others	13 & 14/ 05-06-21	Tiles	18 Nos. box @1000	M/S Avinash Traders PO Ganed, Chamba	18000	**Quotations**
7.15TH FC	17/ 24-07-22	Dustbin	10 Nos.@ 9881	M/S Chaman Lal Furniture House, Bhanjraru,Chamba	98810	**Tender**
				Total	181916	

परिशिष्ट "4" (33-35)
पैरा संख्या 8.2, 8.3 व 9.1 में स. दर्शित

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP BHANAJRARU FROM WHICH PURCHASE WITHOUT "M" FORM & NEITHER ROYALITY DEDUCTED & PROBABALE LOSS OF GST

	01-04-2021 TO 31-03-2023										
SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	PAID GST
1	M/S Dinesh Kumar	VKVNY	17 & 18	Sand	14.16	22.66	35000	100	2265.60	33333.33	1666.67
	PO Bhanjraru, Chamba		19-06-2023						0.00	0.00	0.00
2	M/S Dhian Singh	VKVNY	19,	Aggre.	18.4	35.70	56550	100	3569.60	53857.14	2692.86
	PO Devikothi, Chamba		19-06-2023						0.00	0.00	0.00
3	M/S Dinesh Kumar	Eco Village	36,	Sand	5.66	9.06	14000	100	905.60	13333.33	666.67
	PO Bhanjraru, Chamba		24-07-2023						0.00	0.00	0.00
4	M/S Narayan Singh	Eco Village	80,	Stone	7	15.68	14000	100	1568.00	13333.33	666.67
	PO Bhanjraru, Chamba		04-01-2024					100	0.00	0.00	0.00
5	M/S Dinesh Kumar	15th FC	17,	Sand	14.16	22.66	28750	100	2265.60	27380.95	1369.05
	PO Bhanjraru, Chamba		24-07-2022						0.00	0.00	0.00
6	M/S Dev Raj S/o Narainu	15th FC	09,	Aggre.	14.1	27.35	42330	100	2735.40	40314.29	2015.71
	PO Jungra, Chamba		02-06-2023						0.00	0.00	0.00
7	M/S Dinesh Kumar	SBM	05/23-09-22	Sand	16	25.60	36725	100	2560.00	34976.19	1748.81
8	M/S Dev Raj S/o Narainu	VKVNY	06/23-09-22	Aggre.	11.32	21.96	34000	100	2196.08	32380.95	1619.05
9	M/S Dhian Singh	14th FC	01 & 02	Sand	7.78	12.45	13750	60	746.88	13095.24	654.76
	PO Devikothi, Chamba		10-05-222	Aggre.	7.78	15.09	13750	60	905.59	13095.24	654.76
10	M/S Narain Singh	14th FC	03 to 07	Sand	21.94	35.10	38750	60	2106.24	36904.76	1845.24
	PO Bhanjraru, Chamba		10-05-2022	Aggre.	7.75	15.04	13750	60	902.10	13095.24	654.76
				Stone	62	138.88	55800	60	8332.80	53142.86	2657.14
						TOTAL	**397155**		**31059.49**	**378242.86**	**18912.14**
		MGNERA									

If Supplier is not mining lease holder than 25% penality on Amount after April ,2022 has been added so rate 80/ton + 25% Penalty = 100 Including Penlaty taken

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. **B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne**
   One Cubic Meter (M^3) Sand **1.60**
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate Mi **1.94**
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate **1.46**
   One Cubic Meter (M^3) Stone **2.24**
4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or r

परिशिष्ट "4"

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP BHANJRARU FROM WHICH PURCHASE WITHOUT "M" FORM & NEITHER ROYALITY DEDUCTED & PROBABALE LOSS OF GST

01-04-2023 TO 31-03-2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	PAID GST
1	Narayan Singh S/o Dharam Ram	MGREGA	29/2/2024	Stone	200.20	448.45	182000.00	80	35875.84	173333.33	8666.67
2	Asdulla S/o Hasan Beg	MGREGA	29/02/2024	Stone	78.40	175.62	54000.00	80	14049.28	51428.57	2571.43
3	Dinesh Kumar s/o Yogender Pal	MGREGA	29/2/2024	Sand	16.99	27.18	42000.00	60	1631.04	40000.00	2000.00
						TOTAL	**278000**		**51556.16**	**264761.90**	**13238.10**

If Supplier is not mining lease holder than 25% penality on Amount after April ,2022 has been added so rate 80/ton + 25% Penalty = 100 Including Penlaty taken

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. **B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne**
   One Cubic Meter (M^3) Sand **1.60**
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate Mix **1.94**
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate **1.46**
   One Cubic Meter (M^3) Stone **2.24**
4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

Gram Rozgar Sewak
GP Bhanjraru D.B Tiss
Distt. Chamba (H.P.)

Facts and figure are verify
Original Records

- 114 -

40

परिशिष्ट "4"

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP BHANJRARU FROM WHICH PURCHASE WITHOUT "M" FORM & NEITHER ROYALITY DEDUCTED & PROBABALE LOSS OF GST

01-04-2022 TO 31-03-2023

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	PAID GST
1	Narayan Singh S/o Dharam Ram	MGREGA	21/9/2022	Stone	488.54	1094.33	436200.00	80	87546.37	415428.57	20771.43
2	Asdulla S/o Hasan Beg	MGREGA	27/9/2022	Stone	248.64	556.95	222000.00	80	44556.29	211428.57	10571.43
3	Narender Sharma S/o Suraj	MGREGA	5/9/2022	Stone	280.00	627.20	125860.00	80	50176.00	119866.67	5993.33
4	Virender Kumar S/o Mehar Chand	MGREGA	1/9/2022	Stone	261.96	586.79	236000.00	80	46943.23	224761.90	11238.10
5	Virender Kumar S/o Mehar Chand	MGREGA	5/9/2022	Stone	165.76	371.30	148000.00	80	29704.19	140952.38	7047.62
6	Dinesh Kumar s/o Yogender Pal	MGREGA	28/6/2023	Sand	132.08	211.33	279825.00	60	12679.68	266500.00	13325.00
						TOTAL	1447885		271605.76	1378938.10	68946.90

If Supplier is not mining lease holder than 25% penality on Amount after April ,2022 has been added so rate 80/ton + 25% Penalty = 100 Including Penlaty taken

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. A. **From Square Feet to Cubic Meter M3**
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. B. **From Cubic Meter (M^3) to Tonne**
   One Cubic Meter (M^3) Sand **1.60**
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate Mix **1.94**
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate **1.46**
   One Cubic Meter (M^3) Stone **2.24**
4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

Gram Rozgar Sewak
GP Bhanjraru D E Tissa
Distt. Chamba (H.P.)
Facts and Figure are Verify Original Record

115

41

परिशिष्ट – "5" पैरा नं० 9.6 से सम्बन्धित

ग्राम पंचायत भंजराडू, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश संयुक्त हस्ताक्षर के बिना अनियमित भुगतान करने एवं स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न होने बारे (पैरा संख्या ~~9.2~~ व ~~9.3~~ में संदर्भित)

Sr.No./ Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Detail of Supplier	Amount	Remarks
1.SF	12/ 04-04-22	Tea,Sweets, Somosa etc.	-	M/S Janta Ram s/o Heera, Bhanjraru	13600	Joint. Sign
2.SF	47-49/ 26-07-22	Bundi, Tea, Pakode etc.	-	M/S Janta Ram s/o Heera, Bhanjraru	4200	Joint. Sign
3.NDP	54/ 26-09-22	Paint	-	M/S Avinash Traders PO Ganed, Chamba	32506	Joint. Sign & Stock Entry
4. Others	13 & 14/ 05-06-21	Tiles	18 Nos. box @1000	M/S Avinash Traders PO Ganed, Chamba	18000	Joint. Sign & Stock Entry
5.15th FC	10/ 09-06-23	Stone Carrige Agg. Carrige	13m3@2000 14.10m3@1765.95	M/S Dharam Singh S/o Bhikham PO Bhanjraru Chamab	50900	Joint. Sign & Stock Entry
6.15TH FC	17/ 24-07-22	Dustbin	10 Nos.@ 9881	M/S Chaman Lal Furniture House, Bhanjraru,Chamba	98810	Joint. Sign & Stock Entry
				Total	218016	

परिशिष्ट "6" पैरा संख्या 7.4 मे सन्दर्भित

1) सम्मपति कर -(गृहकर)--------: 31/03/2024

वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल प्राप्त राशी	बकाया राशी
2022-23	86900	462	50	23100	110000	86850	23150
2023-24	23150	518	50	25900	49050	0	49050

(2) पंचायत दुकाने -------: (2022-23)

क्रमांक	दूकान दार का नाम व् पता	दूकान संख्या	मासिक किराया	गत शेष	वर्ष 2022-23 की मांग	कुल मांग	वर्ष में वसूल राशी	शेष बकाया राशी
1	श्री सोम राज	1	500	0.00	6000.00	6000.00	6000.00	0.00
2	श्री लेख राज	2	500	60500.00	6000.00	66500.00	50000.00	16500.00
3	सरस्वती विद्या मंदिर	3	500	39600.00	00.00	39600.00	0.00	39600.00
4	श्री चमन सिंह	4	500	19000.00	6000.00	25000.00	23500.00	1500.00
5	श्री फते मुहम्मद	5	500	62500.00	6000.00	68500.00	10000.00	58500.00
6	श्री जय सिंह	6	500	78500.00	6000.00	84500.00	25000.00	59500.00
7	श्री खेम राज	7	500	29500.00	6000.00	35500.00	7000.00	28500.00
8	खादी भण्डार	8	500	0.00	6000.00	6000.00	6000.00	0.00
		योग		**289600.00**	**42000.00**	**331600.00**	**127500.00**	**204100.00**

पंचायत दुकाने -----------: (2023-24)

क्रमांक	दूकान दार का नाम व् पता	दूकान संख्या	मासिक किराया	गत शेष	वर्ष 2023-24 की मांग	कुल मांग	वर्ष में वसूल राशी	शेष बकाया राशी
1	श्री सोम राज	1	500	0.00	6000.00	6000.00	1500.00	4500.00
2	श्री लेख राज	2	500	16500.00	6000.00	22500.00	0.00	22500.00
3	सरस्वती विद्या मंदिर	3	500	39600.00	00.00	39600.00	0.00	39600.00
4	श्री चमन सिंह	4	500	1500.00	6000.00	7500.00	6000.00	1500.00
5	श्री फते मुहम्मद	5	500	58500.00	6000.00	64500.00	10000.00	54500.00
6	श्री जय सिंह	6	500	59500.00	6000.00	65500.00	0.00	65500.00
7	श्री खेम राज	7	500	28500.00	6000.00	34500.00	4000.00	30500.00
8	खादी भण्डार	8	500	0.00	6000.00	6000.00	6000.00	0.00
		योग		**204100.00**	**42000.00**	**246100.00**	**27500.00**	**218600.00**

नोट :- दुकान संख्या 3 दिनांक 31/03/2022 को ग्राम पंचायत द्वारा संस्थान से वापिस लेकर अपने उपयोग में ले ली है इसलिए इसकी मांग शून्य है ।

परिशिष्ट "7" पैरा संख्या 9.5(29) में संदर्भित

-118-

Recovery Year 2023-24 GP Bhanjraru									
Sr No	Block	GP	Name of Work	Agency	DOC	L	M	40%	Recovery
1	TISSA	BHANJRADU	C/o Irrigation Tank Prem Lal Fultwas (1302007245/IF/32175204)	GP	9/14/2023	56857	39773	37904.66667	1868.333333
2	TISSA	BHANJRADU	C/o Irrigation Tank Mukesh Singh S/o Dhiyan Singh Sulana (1302007245/IF/32259674)	GP	8/3/2023	32613	53148	21742	31406
3	TISSA	BHANJRADU	C/o Protection work with path hitshwari vill Sullana (1302007245/IF/32309455)	GP	9/14/2023	55120	39544	36746.66667	2797.333333
4	TISSA	BHANJRADU	C/o Cow shed Hukam chand vill sullana (1302007245/IF/32309459)	GP	9/14/2023	30136	38190	20090.66667	18099.33333
5	TISSA	BHANJRADU	C/o Cow shed Rajesh Madan (1302007245/IF/32310105)	GP	3/2/2024	34280	24000	22853.33333	1146.666667
6	TISSA	BHANJRADU	C/o cow shed tulsi ram S/o devi ram vill salancha (1302007245/IF/32310113)	GP	3/2/2024	37320	32250	24880	7370
7	TISSA	BHANJRADU	C/o Cow Shed sukh dev Vill Dikriyund (1302007245/IF/32310127)	GP	9/14/2023	36160	32250	24106.66667	8143.333333
8	TISSA	BHANJRADU	C/o Irigation tank Umeda ram vill sullana (1302007245/IF/32310131)	GP	3/2/2024	50316	39290.56	33544	5746.56
9	TISSA	BHANJRADU	C/o Plantation Fruit Plant Kuldeepak vill dobh (1302007245/IF/32310144)	GP	9/14/2023	44572	31950	29714.66667	2235.333333
10	TISSA	BHANJRADU	C/o cow shed jatinder s/o chudhu ram vill dikriyund (1302007245/IF/GIS/31889)	GP	3/2/2024	33676	24000	22450.66667	1549.333333
11	TISSA	BHANJRADU	C/o Plantation Fruit plant Usha devi W/o khem raj village dikriyund (1302007245/IF/GIS/34393)	GP	9/14/2023	19080	75000	12720	62280
12	TISSA	BHANJRADU	C/o Plantation Fruit Plant Gurucharan Singh S/o bal krishan vill dikriyund (1302007245/IF/GIS/34394)	GP	9/14/2023	21560	75000	14373.33333	60626.66667
13	TISSA	BHANJRADU	C/o Plantation work kamla w/o sher singh vill Dikriyund (1302007245/IF/GIS/38969)	GP	9/14/2023	26900	36000	17933.33333	18066.66667
14	TISSA	BHANJRADU	C/o Plantation work pooja w/o pramod vill dikriyund (1302007245/IF/GIS/38970)	GP	9/14/2023	10568	36000	7045.333333	28954.66667
15	TISSA	BHANJRADU	Palantation work man singh s/o dharma vill fultuwas (1302007245/IF/GIS/38972)	GP	9/14/2023	37688	36000	25125.33333	10874.66667
16	TISSA	BHANJRADU	C/o Land development Subhash vill salancha (1302007245/IF/GIS/38973)	GP	9/14/2023	34372	36000	22914.66667	13085.33333
17	TISSA	BHANJRADU	C/o Plantattion work bhag dei w/o bhag singh vill sullana (1302007245/IF/GIS/39085)	GP	9/14/2023	26572	36000	17714.66667	18285.33333
									292535.56